अधिसूचना सं.46/2015 [फा.सं.वी.27015/3/2014-एसओ (NAT.COM)]/एसओ 97 (ई), दिनांक 6-1-2015

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.708(ई), दिनांक 25 मई, 2005 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की व्याख्या के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई थी, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 17 पर "दिल्ली में 50,000 स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना" को "इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई - 400049" द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए रु.3.64 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था; जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1312(ई), दिनांक 4 जून, 2008 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1374(ड़), दिनांक 14.6.2011 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2013-14 के साथ समाप्त होने वाली तीन वर्षों के लिए और आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1312(ई) दिनांक 4 जून, 2008 के द्वारा अनुमानित लागत को रु.3.64 करोड़ से बढ़ाकर रु.1073.11 लाख किया गया था; और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1374(ई), दिनांक 14.6.2011 के माध्यम से रु.1073.11 लाख से बढ़ाकर रु.27.16 करोड़ किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के नौ वर्षो से आगे बढ़ने की संभावना है;

और, जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन की राष्ट्रीय समिति, इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना उचित रूप से क्रियान्वित की जा रही है, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11छ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तृत करने की अतिरिक्त सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की उपधारा (1) के साथ पठित व्याख्या के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "दिल्ली में 50,000 स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई - 400049" द्वारा रु.27.16 करोड़ की स्वीकृत लागत में बिना किसी परिवर्तन के वित्तीय वर्षों 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए संचालित की जा रही है।

■■